

सहायके क्लर्क
(SDO), बाढ़

05.02.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादी एवं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिखाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर 'खारिज' किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो व नंबर से कम हो

~~05/02/25~~
सहायक क्लर्क
(SDO), बाढ़



सहायक क्लर्क
(033)